लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2775

10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

तकनीकी वस्त्र मिशन

2775. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्रीमती भारती पारधी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 2026 में "स्मार्ट टेक्सटाइल्स" और विशेष रूप से डिजाइन किए गए बायोडिग्रेडेबल फाइबर के विकास के लिए 20 नई शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन ने भारतीय एयरोस्पेस उद्योग में उपयोग किए जाने वाले उच्च-शक्ति वाले कार्बन फाइबर के आयात को सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित कर दिया है;

(ग) क्या सरकार ने युवा नवप्रवर्तकों को 50 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान करने के लिए एक समर्पित "स्टार्टअप स्कीम फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स" (जीआरईएटी) शुरू की है;

(घ) क्या सरकार विभिन्न विभागों के सहयोग से सभी नई पहाड़ी सड़कों के निर्माण में स्वदेशी जियोटेक्सटाइल्स के उपयोग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव कर रही है;

(ङ) क्या सरकार वर्तमान वित्त वर्ष में पहली बार तकनीकी वस्त्रों के शुद्ध निर्यातक के रूप में सफलतापूर्वक उभरी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क): फरवरी, 2026 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीएमएम) के तहत उन्नत तकनीकी वस्त्र उत्पादों का स्वदेशी विकास, उच्च निष्पादन वाले फाइबर, स्मार्ट और कार्यात्मक वस्त्र, प्रोटेक्टिव गियर, वस्त्र मशीनरी और अवसंरचना तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों आदि के लिए समग्र प्रणालियों जैसे क्षेत्रों पर फोकस करने वाली कुल 16 नई शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ख): एनटीटीएम के घटक-1 का एक प्रमुख उद्देश्य कार्बन फाइबर, एरामिड फाइबर, नायलॉन फाइबर और अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉली एथिलीन (यूएचएमडब्ल्यूपीई) आदि जैसे विशिष्ट फाइबरों के विकास के लिए मौलिक अनुसंधान को सहायता प्रदान करना है। इस घटक के तहत, इंटरमीडिएट मॉडुलस ग्रेड कार्बन फाइबर के स्वदेशी विकास के लिए सीएसआईआर-नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरीज (सीएसआईआर-एनएएल) को एक परियोजना की मंजूरी प्रदान की गई है।

(ग): एनटीटीएम के तहत, "तकनीकी वस्त्रों में महत्वाकांक्षी इनोवेटर्स के लिए अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान (ग्रेट) " नामक एक डेडिकेटेड पहल को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में युवा इनोवेटर्स, वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों और स्टार्ट-अप उद्यमों को उनके विचारों को वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियों/उत्पादों में बदलने में सहायता करके देश में तकनीकी वस्त्रों के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। ग्रेट दिशानिर्देशों के तहत, प्रत्येक अनुमोदित स्टार्ट-अप को अधिकतम 50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। एनटीटीएम के तहत कुल 31 स्टार्ट-अप को 15.40 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है।

(घ): वस्त्र मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय आदि के बीच समन्वित प्रयासों के माध्यम से पहाड़ी और दूभर क्षेत्रों में सड़क निर्माण सहित अवसंरचना विकास में स्वदेशी जियो-टेक्सटाइल के अनिवार्य उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने राजमार्ग निर्माण और रखरखाव में जियोसेल, जियोकंपोजिट्स, जियोग्रिड इत्यादि जैसे विभिन्न जियो-सिंथेटिक उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश और कोडल प्रावधान जारी किए हैं।

(ङ) और (च): वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के व्यापार आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (दिसंबर 2025 तक) के दौरान, देश से तकनीकी वस्त्रों का कुल निर्यात 21,970 करोड़ रुपये है जबकि आयात 18,953 करोड़ रुपये है। डीजीसीआईएस के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष में तकनीकी वस्त्रों के निर्यात और आयात का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये में)	आयात (करोड़ रुपये में)	व्यापार संतुलन (करोड़ रुपये में)
2022-23	23,050	21,809	+1,241
2023-24	24,724	21,132	+3,592
2024-25	28,392	22,865	+5,527
2025-26 (अप्रैल-दिसम्बर 2025)	21,970	18,953	+3,017

स्रोत: डीजीसीआईएस, वाणिज्य मंत्रालय।

****